बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक – 24.06.2013 को विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में की गई समीक्षा की कार्यवाही

उपस्थिति :– संलग्न

1. मुख्य सचिव द्वारा माननीय मुख्य मंत्री, माननीय मंत्री जल संसाधन, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग एवं सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि वर्षापात के आकड़ों से स्पष्ट है कि कई जिलों में सामान्य से 50 प्रतिशत कम वर्षा हुई है । उत्तर बिहार के जिलों में इस कारण बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों की समस्यायें हो सकती हैं। नेपाल में अत्यधिक वर्षा के कारण उत्तर बिहार के नदियों में बाढ़ की संभावना हो सकती है एवं वर्षापात में कमी के कारण सुखाड़ की समस्या हो सकती है। नदियों के तटबंध को सुरक्षित रखना एक मुख्य उत्तरदायित्व है। विशेष रूप से बागमती एवं महानंदा सिस्टम की कुछ नदियों में बांध नहीं बने हुए हैं, उन क्षेत्रों में बाढ़ आने की स्थिति में सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को बाढ़ पूर्व तैयारियाँ ससमय पूरी कर लेने का निदेश दिया।

2. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ आपदा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में बाढ़ पूर्व तैयारियाँ बाढ़ के दौरान एवं बाद में की जाने वाली कार्रवाईयों की विस्तृत रूप रेखा बतायी गयी। तैयारियों के संदर्भ में निम्नांकित मुख्य बिन्दुओं पर विशेष बल दिया गया –

   - तटबंधों का रख रखाव एवं आक्राम्य स्थलों की पहचान।
   - संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान।
   - संकटग्रस्त हो सकने वाले व्यक्ति समूहों की पहचान।
   - संसाधन मानचित्रण एवं व्यवस्था।
   - मानव दवा की उपलब्धता।
   - शरण स्थलो की पहचान।
   - संचार योजना के तहत डायरेक्ट्री को अद्यतन कर देना।
   - आकस्मिक फसल योजना का सूत्रण–बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों के लिए सूत्रण करना।
   - गर्भवती महिलाओं/धातृ माताओं के लिए विशेष व्यवस्था।
   - मीडिया प्रबंधन आदि।

उनके द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया। निम्नांकित मुख्य बिन्दु सभी के अभिज्ञान में लाए गए :–

- राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना
- संसाधन मानचित्रण (सामाग्री संसाधन एवं मानव बल)
- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में जिलों को उपलब्ध कराया गया आवंटन

3. <u>प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग का प्रस्तुतीकरण</u> –

- कुल 410 तटबंध सुरक्षात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया
- बाढ़ पूर्वानुमान हेतु विश्व बैंक की सहायता से बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली को विकसित किया गया है।
- बाढ़ प्रबंधन की योजनाओं के सूत्रीकरण, अनुश्रवण एवं पुनर्वास में सूचना प्रणाली द्वारा जी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर से विकसित सैटेलाईटइमेजरी का प्रयोग किया जा रहा है।
- राज्य में विभिन्न नदियों पर लगभग 3732 कि0मी0 की लम्बाई में निर्मित तटबंधों पर बाढ़ अवधि में सुरक्षा हेतु अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में तटबंधों के प्रत्येक कि0मी0 पर होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति।

  <u>माननीय मुख्य मंत्री जी का निदेश</u> – होमगार्ड के अलावा विभाग के अभियंतागण भी तटबंध की सुरक्षा करें।

- मुख्यालय में क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे कार्यरत।
- जिला प्रशासन एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा तटबंधों का संयुक्त निरीक्षण कर कमजोर बिन्दुओं के निर्धारण की कार्रवाई सम्पन्न।
- बाढ़ 2013 अवधि के लिए बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो में तकनीकि परामर्श हेतु बाढ़ संघर्षात्मक बल का गठन।
- आगामी बाढ़ में संभावित कटाव की सम्भावनाओं से निपटने के लिए राज्य स्थित नदी बेसिनों के लिये विशेषज्ञों के तेरह दल कार्यरत।

  <u>माननीय मुख्य मंत्री जी का निदेश</u> – जल संसाधन विभाग को निदेश दिया कि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा विकसित मानक संचालन प्रक्रिया की तर्ज पर मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाय जिससे सभी के द्वारा कब, क्या किया जाना है सुस्पष्ट रूप से परिभाषित हो।

4. <u>निदेशक भारतीय मौसम विज्ञान</u> द्वारा सूचना दी गई कि 24 जुन 2013 तक पूरे बिहार के सापेक्ष वर्षा में सामान्य से 9 प्रतिशत की कमी है। 9 जिलों में वर्षा सामान्य से अधिक है एवं 8 जिलों में वर्षा सामान्य से 50 प्रतिशत नीचे है एवं 7 जिलों में वर्षा सामान्य है। दिनांक–26.06.2013 के पश्चात् पूरे बिहार में तीव्र वर्षा होगी।

   निदेशक द्वारा सूचित किया गया कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, सिवान, अरवल, भभुआ से दैनिक वर्षापात का आंकड़ा नहीं प्राप्त हो रहा है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों को आंकड़े भेजने का निदेश दिया।

5. <u>केन्द्रीय जल आयोग</u> – बिहार में गंगा की बाढ़ पूर्वानुमान की घोषणा हेतु नोडल डिवीजन मिडिल गंगा डिवीजन 5 (MGD-V)। MGD-IV उत्तर बिहार की नदियों के संबंध में पूर्वानुमान करता है।

- India-water.com पर प्रति घंटे डाटा अपलोड किया जाता है।
- बाढ़ के दौरान IMD से निरन्तर संपर्क एवं आंकड़ों की प्राप्ति।
- बाढ़ के दौरान वायरलेस नेटवर्क, टेलीफोन, ई–मेल, विशेष दूत, बिहार पुलिस रेडियो, SMS के माध्यम से सूचनायें प्राप्त की जाती है।

6. <u>कृषि उत्पादन आयुक्त</u> –

- आकस्मिक फसल योजना बना ली गयी है।
- बिहार राज्य बीज निगम में 1200 क्वीं0 बीज आपात परिस्थिति में उपयोग करने हेतु रखे गये हैं।
- कृषि विज्ञान केन्द्र को विशेष कार्यक्रम चलाने हेतु निदेश दिये गये हैं।

7. <u>प्रधान सचिव, गृह विभाग</u> –

- जल संसाधन विभाग को तटबंधो की सुरक्षा हेतु गृहरक्षकों की सेवा उपलब्ध करा दी गई है।
- जल संसाधन विभाग एवं थाना दोनों के वायरलेस सेट सदैव चालू रखने का निदेश दिये गये हैं।
- बाढ़ स्थल शरण स्थलों पर ओपी खोलने हेतु निदेश दिया गया है।
- प्रशिक्षित पुलिस बल जिला प्रशासन के साथ मिलकर समन्वित रूप से काम करेंगे।

8. <u>प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग</u> –

- बाढ के दौरान बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर कोई अवकाश देय नहीं होगें।
- बाढ़ आपदा हेतु आवश्यक दवायें संघारित हैं।
- हैलोजन टैबलेट सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
- बाढ़ के समय मोबाइल मेडिकल टीमों की व्यवस्था की गई है। शरण स्थलों में आवश्यकता होने पर चिकित्सा शिविर खोले जाएंगे।
- साँप काटने की दवायें सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध हैं।

9. <u>मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u> –

- चापाकलों की मरम्मति/ऊँचें प्लेटफार्मों पर चापाकल का निर्माण हेतु निदेश दिये गये हैं।
- जिलों में शरणस्थलों पर पेयजल एवं स्वच्छता सुविधा हेतु निदेश निर्गत किये गये हैं।
- बाढ़ के दौरान आवश्यकता पड़ने पर टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है।
- सभी प्रखंडों में मरम्मति हेतु गैंग का निर्माण कर लिया गया है।

10. <u>सचिव, पथ निर्माण विभाग</u> –

- राशि उपलब्ध है एवं आवश्यक सामाग्रियों का सामरिक स्थलों पर भंडारण कर लिया गया है।
- बाढ़ के दौरान परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्गो की पहचान कर ली गई है।

11. <u>सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग</u> –

- बाढ़ के दौरान टूटी हुई सड़को पर आवागमन तुरन्त चालू करने हेतु समस्त तैयारियां कर ली गई है।

12. <u>प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u> –

- 4,97,000 मिट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध है।
- जिला पदाधिकारी सिवान के यहां चावल हेतु मोहनिया से रैक भेजा जा रहा है।

13. <u>सचिव, लघु जल संसाधन विभाग</u> –

- सभी नलकूप प्रमंडलों को आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। यांत्रिक दोष से कोई नलकूप बंद नहीं होगा।

14. <u>प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग</u> –

- बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध सभी दिशा निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
- बाढ़ के दौरान पशुओं को सुरक्षित स्थान पर निकालने हेतु जिला पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी का सहयोग प्राप्त करेंगें।
- बाढ़ के दौरान चारे की उपलब्धता रखी जायेगी एवं जिलावार दर निर्धारण की प्रक्रिया की जा रही हैं।

15. <u>प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग</u> –

- बाढ़ के उपरांत पुनर्स्थापना की पूरी तैयारी कर ली गई है।

16. <u>निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय</u> –

- 534 प्रखंडों में वर्षामापक यंत्र स्थापित कर लिये गये हैं।

- ऑटोमैटिक वेदर फोर कास्टिंग स्टेशन हेतु 50 जगहों का चयन किया गया है।

मुख्य सचिव महोदय का निदेश :– सभी जिला पदाधिकारी आज संध्या तक ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन लगाने हेतु स्थल का चयन कर निदेशालय को सूचित कर देंगे।

17. <u>पुलिस महानिदेशक</u> –

- नये चयनित सिपाहियो में बहुत सारे लोग स्पेशल बटालियन होमगार्ड के हैं जिनका पूर्व चयन स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में हुआ था सभी जिला पुलिस अधीक्षक नये चयनित सिपाहियों में से एस0डी0आर0एफ0 में प्रशिक्षित

स्पेशल बटालियन के लोगों को एस0डी0आर0एफ0, बिहटा में योगदान करने हेतु तुरन्त भेज देगें।

- वायरलेस सेटों को सदैव चालू रखा जाय और यदि आवश्यक हो तो किराये पर बैट्री भी ले सकते हैं।

18. <u>माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पदाधिकारियों को निम्नानुसार निदेश दिए</u> :

- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार बाढ़ आपदा संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप जिलों में पूरी तैयारी हो और उसका अनुपालन किया जाय।
- जल संसाधन विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग की तर्ज पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सूत्रण कर तदनुरूप कार्रवाई की जाय ताकि कब, क्या एवं किसके द्वारा बाढ़ सुरक्षा कार्य किये जाएंगे पूर्ण रूप से स्पष्ट रहे।
- जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक तटबंधों को तोड़ने/काटने की घटना को तत्काल रोके।
- नाव, नाविको का बकाया भुगतान किया जाय।
- बाढ़ आपदा की समस्या का सामना करने हेतु सभी आवश्यक संसाधनों यथा माहाजाल, पॉलीथीन शीट्स, चारा एवं खाद्यान्न आदि की ससमय व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाय।
- बाढ़ आपदा के पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाय जिससे की जानमाल की क्षति कम से कम हो। राहत का त्वरित वितरण सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाती है। रिस्पांस त्वरित हो जाय जैसा कि इस वर्ष अग्नि आपदा के समय किया गया है। डी0डी0एम0 के अध्यक्ष के रूप में जिला पदाधिकारी गणों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानुनी शक्तियां प्रदान की गई है जिसका प्रयोग किया जाय।
- वर्षा नहीं होने अथवा अल्प वर्षापात की स्थिति में फसलों के Contigency Plan तैयार रहे।
- जिला पदाधिकारी प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से बाढ़ आपदा के संबंध में अपनी तैयारियों को जनता को अवगत करायेगें। साथ ही अन्य माध्यमों से यथा हिन्दी, उर्दू में पैम्फलेट आदि छपवाकर जनता को तैयारियों के संबंध में अवगत करायेगें।
- आपदा के समय पदाधिकारी संयम एवं धैर्य से काम करे एवं आपदा पीड़ितों को शांति से समझाकर संतुष्ट करें। आपदा के समय लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए ।

19. <u>जिला पदाधिकारी, सुपौल</u> –

- मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप समस्त तैयारियां कर ली गई है।

मुख्य सचिव का निदेश – सभी जिला पदाधिकारी अपने जिलों में अवस्थित तटबंधों को समान भागों में बाटकर उसकी जवाबदेही 1–1 पदाधिकारी को दे दे एवं होमगार्ड, कनीय अभियंता एवं अन्य अभियंताओं के लिए तटबंधों के भ्रमण हेतु वाहन की व्यवस्था करा लें।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग का निदेश – एन0डी0आर0एफ0 की टीम से बाढ़ आपदा से ग्रसित होने वाले क्षेत्रों की रेकी करा लें एवं एन0डी0आर0एफ0 के प्रतिनियुक्त टीम के माध्यम से बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में आम जनता को प्रशिक्षिण दिलवायें।

20. <u>जिला पदाधिकारी, सहरसा</u> –

- मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप तैयारियां कर ली गई है।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग – प्रत्येक अति बाढ़ प्रवण जिलों को 200 की संख्या में नाव का निर्माण करना है।

21. <u>जिला पदाधिकारी, मधेपुरा</u>–

- मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप तैयारियां कर ली गई हैं। राज्य मुख्यालय से मदद की आवश्यकता नहीं है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि एक बार पुनः मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप तैयारी की समीक्षा कर ली जाय। सुपौल, मधेपुरा को दिये निदेश सभी जिलों को लागू होगें।

22. <u>माननीया मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग</u>–

- यह एक अत्यन्त संवेदनशील बैठक है। नाव की व्यवस्था की हालत अत्यन्त बुरी है अतः उसे गंभीरता से लें। नाव–नाविक के भुगतान की व्यवस्था गंभीरता से लिया जाय।
- अग्निकांड में पैसा तुरन्त मिलता है, लेकिन अनाज देर से मिलता है। अतः शीघ्र गरीबों को अनाज उपलब्ध कराया जाए।
- वज्रपात से हुई मृत्यु में भी अनुग्रह अनुदान तुरन्त उपलब्ध करा दें।
- बाढ़ में फसल बीमा का भुगतान पीड़ित किसानों को नहीं मिल रहा है।
- बाढ़ के दौरान जब लोग विस्थापित होते हैं तो पीछे छुटे गॉवों में चोरी की घटनाए होती हैं। अतः पुलिस अधीक्षक लोग उसे रूकवाएँ।
- नागरिक संगठन / समुदाय की बैठक कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाय।
- बाढ़ के लिए Mock-drill किया जाए। जब भी Mock-drill होतो उसकी सूचना मंत्री स्तर तक दी जाए। Mock-drill होने पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा।

23. <u>जिला पदाधिकारी, कटिहार</u> –

- राहत वितरण में वितरित खाद्यान्न की बकाया राशि की आवश्यकता है।
  प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाय। वित्त विभाग द्वारा आपत्ति दी गई है कि जबतक जिला में पूर्व से आवंटित राशि उपलब्ध है तबतक नया पैसा नहीं दिया जायेगा।

24. <u>जिला पदाधिकारी, खगड़िया</u> –

- अपर समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन विभाग की नियुक्ति की जाय।

25. <u>जिला पदाधिकारी, बेगुसराय</u> –

- मोटरवोट की मरम्मति हेतु कलकत्ता की कम्पनी से वार्त्ता की गई है किन्तु कम्पनी द्वारा मरम्मति नहीं की जा रही है।
  प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निदेशित किया गया है कि वैशाली जिला के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

स्पेशल बटालियन के लोगों को एस0डी0आर0एफ0, बिहटा में योगदान करने हेतु तुरन्त भेज देगें।

- वायरलेस सेटों को सदैव चालू रखा जाय और यदि आवश्यक हो तो किराये पर बैट्री भी ले सकते हैं।

18. <u>माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पदाधिकारियों को निम्नानुसार निदेश दिए</u> :

- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार बाढ़ आपदा संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप जिलों में पूरी तैयारी हो और उसका अनुपालन किया जाय।
- जल संसाधन विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग की तर्ज पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सूत्रण कर तद्नुरूप कार्रवाई की जाय ताकि कब, क्या एवं किसके द्वारा बाढ़ सुरक्षा कार्य किये जाएंगे पूर्ण रूप से स्पष्ट रहे।
- जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक तटबंधों को तोड़ने/काटने की घटना को तत्काल रोके।
- नाव, नाविको का बकाया भुगतान किया जाय।
- बाढ़ आपदा की समस्या का सामना करने हेतु सभी आवश्यक संसाधनों यथा माहाजाल, पॉलीथीन शीट्स, चारा एवं खाद्यान्न आदि की ससमय व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाय।
- बाढ़ आपदा के पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाय जिससे की जानमाल की क्षति कम से कम हो। राहत का त्वरित वितरण सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाती है। रिस्पांस त्वरित हो जाय जैसा कि इस वर्ष अग्नि आपदा के समय किया गया है। डी0डी0एम0 के अध्यक्ष के रूप में जिला पदाधिकारी गणों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानुनी शक्तियां प्रदान की गई है जिसका प्रयोग किया जाय।
- वर्षा नहीं होने अथवा अल्प वर्षापात की स्थिति में फसलों के Contigency Plan तैयार रहे।
- जिला पदाधिकारी प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से बाढ़ आपदा के संबंध में अपनी तैयारियों को जनता को अवगत करायेगें। साथ ही अन्य माध्यमों से यथा हिन्दी, उर्दू में पैम्फलेट आदि छपवाकर जनता को तैयारियों के संबंध में अवगत करायेगें।
- आपदा के समय पदाधिकारी संयम एवं धैर्य से काम करे एवं आपदा पीड़ितों को शांति से समझाकर संतुष्ट करें। आपदा के समय लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए ।

19. <u>जिला पदाधिकारी, सुपौल</u> –

- मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप समस्त तैयारियां कर ली गई है।

मुख्य सचिव का निदेश – सभी जिला पदाधिकारी अपने जिलों में अवस्थित तटबंधों को समान भागों में बाटकर उसकी जवाबदेही 1–1 पदाधिकारी को दे दे एवं होमगार्ड, कनीय अभियंता एवं अन्य अभियंताओं के लिए तटबंधों के भ्रमण हेतु वाहन की व्यवस्था करा लें।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग का निदेश – एन0डी0आर0एफ0 की टीम से बाढ़ आपदा से ग्रसित होने वाले क्षेत्रों की रेकी करा लें एवं एन0डी0आर0एफ0 के प्रतिनियुक्त टीम के माध्यम से बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में आम जनता को प्रशिक्षिण दिलवायें।

26. <u>जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर</u> – कोई समस्या नहीं।

27. <u>जिला पदाधिकारी, दरभंगा</u> –

- अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन एवं चार अंचलों में अंचलाधिकारी नहीं हैं।

28. <u>जिला पदाधिकारी, मधुबनी</u> –

- श्री कृष्ण कुमार, अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन का योगदान अभी नहीं हो पाया है।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि जल संसाधान विभाग से संपर्क कर सभी बांधों/जमीदारी बांधों की मरम्मति करा लिया जाय।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जल संसाधन विभाग उन सभी बांधों की देखभाल करेगें जिसके कटने से जानमाल का क्षति होती है।

29. <u>जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी –</u>

- मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप तैयारी पूरी कर ली गई है।

प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निदेश दिया कि तेज वर्षा के कारण सीतामढ़ी जिले के कई मार्गो पर आवागमन मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। अतः नावों का **Pre-deployment** कर लिया जाय।

30. <u>जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर</u>–

- बाढ़ के दौरान संपर्क भंग होने की स्थिति में चचरी की मांग की जाती है। अतः चचरी निर्माण के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाय।
- पुराना नाव/नाविकों का भुगतान सुपौल एवं मधेपुरा से राशि ना प्राप्त होने के कारण बकाया है।

31. <u>जिला पदाधिकारी, शिवहर</u> –

- महाजाल हेतु 1.75 लाख की आवंटन की आवश्यकता है।
- मुजफ्फरपुर रोड पर तीन जगह डायवर्सन बनाया गया है। बाढ़ आने पर इन डायवर्सन पर पानी आने के कारण मार्ग अवरूद्ध हो जायेगा।

32. <u>जिला पदाधिकारी, वैशाली</u>–

- अगलग्गि की घटनाओं में तीन लाख क्वीं0 खाद्यान्न का वितरण कर दिया गया है। अतः खाद्यान्न मद में आवंटन की आवश्यकता है।

33. <u>जिला पदाधिकारी, भागलपुर</u> –

- कोई समस्या नहीं ।

34. <u>जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण</u> –

- पूर्वी चम्पारण के 18 प्रखंडों में एस0एफ0सी0 के गोदाम नहीं हैं।

- बाढ़ पूर्व तैयारियों के लिए किरासन तेल की अतिरिक्त आवश्यकता है।

35. जिला पदाधिकारी, पटना –

- पटना जिले के पास सभी टेन्ट क्रमशः एस0डी0आर0एफ0, बक्सर और भोजपुर को उपलब्ध करा दिये गये हैं।
  प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि न्यूनतम 500 टेन्ट एवं अतिरिक्त पॉलीथीन शीट्स खरीद लें।

36. <u>जिला पदाधिकारी, लखीसराय–</u>

प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि निर्धारित मात्रा में नावों को बनवा लिया जाय। आवश्यकता पड़ने पर अन्य जिलों में भेजा जायेगा।

मुख्य सचिव द्वारा शेष सभी जिलों से उनकी समस्याओं एवं उनकी आवश्यकताओं के बारे में पूछा गया। किसी जिला द्वारा कोई विशेष समस्या नहीं बताई गई।

विशेष सचिव आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् सभा की कार्रवाई समाप्त की गई।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव,
बिहार

ज्ञापांक–1प्रा0आ0–26 / 2010 3042 / आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 19/7/13.

प्रतिलिपि–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त (मगध प्रमण्डल को छोड़कर) / सभी बाढ़ प्रवण जिलों के जिला पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1प्रा0आ0–26 / 2010 3043 / आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 19/7/13.

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/ सचिव, कृषि/गृह/जल संसाधन/ लघु जल संसाधन/ उर्जा/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण/ स्वास्थ्य/ पशु एवं मत्स्य संसाधन/ ग्रामीण विकास/ ग्रामीण कार्य/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण/ भवन निर्माण/ पथ निर्माण/ समाज कल्याण/ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/ अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड /निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम/ निदेशक भारतीय मौसम विज्ञान, हवाई अड्डा परिसर, पटना/ कार्यपालक अभियंता, मिडिल गंगा डिवीजन - 5, केन्द्रीय जल आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1प्रा0आ0–26 / 2010 3043 / आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 19/7/13.

प्रतिलिपि: पुलिस महानिदेशक/ अपर पुलिस महानिदेशक (नागरिक सुरक्षा)/ पुलिस महानिदेशक (गृह रक्षा वाहिनी) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव